

6
आदेश, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)

आदेश पत्रक

वाद सं- M36 / 2019

धारा-107 दण्डसं

भीम स्वांसी

वनाम

वृन्दावन मुण्डा वर्गेरह

आदेश की क्रम सं. एवं
तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर


आदेश पर की गई कार्रवाई
एवं टिप्पणी तारीख सहित


अभिलेख सं- एम 36 / 2019 में दण्डसं की धारा-107 के
तहत थाना प्रभारी तमाड़ के अप्राथमिकी सं- 04/19
दिनांक 11/03/19 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है
कि घरबाड़ी में मकान निर्माण को लेकर उभय पक्षों में विवाद
है।

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी
या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी
या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन
से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध दण्डसं की धारा-107 के अन्तर्गत
कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे
कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे
प्रत्येक को 1000 (एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी शर्त के दो जमानतदारों के साथ शर्त
दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख तिथि 29/3/19 को उपस्थापित करें।
लेखापित एवं संशोधित।


कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।


कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

आदेश की संख्या एवं
तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई एवं टिप्पणी
तारीख संकेत

25-10-19

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पत्र
उपस्थित दिनांक पत्र ~~काम~~ उपस्थित।
समय अभाव के कारण प्रथम पत्र गवाही
नी ही पाया। प्रथम पत्र की जोर है
आवेदन देकर निवेदन किया गया है कि
उक्त वाद में दो माह का अवधि विस्तार
किया जाय।


प्रथम पत्र के आवेदन को कार्रवाई
किया गया है दिनांक 01-11-19 को
रखे।



25/10/19

01-11-19

अभिलेख उपस्थापित। उभय पत्र
उपस्थित। उक्त वाद में 6 (छ) माह
की अवधि पूरी हो चुकी है अर्थात् वाद
कालबाधित हो गया है।

अतः वाद में अभिलेख की कार्रवाई बन्द
की जाती है।
लेनापित एवं संगोपित


कार्यपालक दंडाधिकारी
अद (रांची)


कार्यपालक दंडाधिकारी
अद (रांची)